आज पत्रावली पेश हुई। वकील ... पक्ष उपस्थित। पी.ओ. ... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22.12.21 को पेश हो।

रीडर

22.12.21	आज पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी पक्ष उपस्थित। वास्ते जवाब अप्रार्थी सं० 15 दि० 31.1.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी महवा (दौसा)
	कोविड-19 के कारण आज पत्रावली पेश हुई। वकीलो ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दि. 08.02.22 को पेश हैं।
08.02.22	कोविड-19 के कारण आज पत्रावली पेश हुई। वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दि. 07.03.22 को पेश हैं।
07.03.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० कार्य ... बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11.03.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा
11.3.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित. संक्षेप में प्रा०पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम गुजर खेड़िया पटवार मण्डल पावटा तहसील महवा स्थित भूमि खाता संख्या 48 के खसरा नम्बर 21, 22, 23, 24 खाता संख्या 10 का खसरा नम्बर 24/377, 59 खाता संख्या

तारीख हुक्म	
	मु. सं.

खाता संख्या 69 के खसरा नम्बर 28/374, 29, 30, 31, 32, 56/353, 57, 58, 8/378 खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 56 खाता संख्या 79 खसरा नम्बर 32/372, खाता संख्या 103 के खसरा नम्बर 125 सायलान व गैरसायल नम्बर 01 लगायत 12 की सह खातेदारी की भूमि है सायलान व गैरसायलान बाहमी बँटवारे अनुसार काबिज काश्त है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में विभाजन नहीं होने के हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन बाबत दावा विचाराधीन है सायलान द्वारा गैर सायलान को वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु निवेदन किया है। गैरसायल सं। लगायत 14 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे तथा गैरसायल नं 15 उपस्थित। गैरसायल नं 15 को बार-बार जवाब के लिए अवसर दिया गया लेकिन जवाब पेश नहीं किये जाने से जवाब बन्द किया। वकील सायलान की बहस सुनी गई। बहस के दौरान विवादित भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी, मजाहमत- मदाखलत पैदा नहीं किये जाने हेतु गैरसायलान को पाबन्द करवाने हेतु निवेदन किया।

अतः विवादित भूमि सायलान व गैरसायलान की सह-खातेदारी की भूमि है तथा राजस्व रिकार्ड में विभाजन करवाने के अधिकारी है। अतः गैरसायलान को वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है उपरोक्त अनुसार विवादित भूमि में सायलान के हिस्से के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत-मदाखलत पैदा नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो शामिल मूल वाद रहे।